

# NRRhl x<+ 'kkl u foRr foHkkx

i d foKflr fnukd 17-03-2012

ctV 2012&13

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह जो कि वित्त मंत्री भी हैं, ने आज वित्तीय o"kl 2012&13 ds fy; s ` 37]573-61 djkm+ dk ctV vuøku iLrq fd; k| 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि का प्रथम बजट प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट का उद्देश्य rho] l rr~, oavf/kd l ekoš kh fodkl है।

2. इस बजट के साथ पहली बार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों के लिए अलग से df"k ctV प्रस्तुत करते हुए उन्होंने इसे राज्य के कृषकों को समर्पित किया है। df"k {ks= ds fy, dy ` 6]244 djkm+ dk ito/kku] tks dy ctV dk 17 ifr'kr g\$ इस बजट का मुख्य आकर्षण है। इसमें सिंचाई के लिए ` 1,848 करोड़, समर्थन मूल्य पर खाद्य उपार्जन के लिए ` 1,452 करोड़ तथा कृषि एवं उद्यानिकी के लिए ` 1,472 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

3. ctV , d utj ea

½kf'k ` djkm+e#

Ø-	en	2011&12 ¼ iujhf{kr vuøku½	2012&13 ½ctV vuøku½	ifr'kr of)
1-	कुल आय	32]196-46	37]172-54	15
	अ. राज्य का राजस्व	15,031.94	17,521.15	17
	ब. केन्द्र से प्राप्त राजस्व	12,676.36	13,857.49	9
	स. ऋणों की वसूली	1,253.08	1,571.70	25
	द. ऋण	3,135.08	4,222.20	30
2-	कुल व्यय	32]747-46	37]573-61	15
3-	बजटीय घाटा (अ + ब)	2,031.73	2,431.80	20
	अ. चालू वर्ष का घाटा	551	401.07	-27
	ब. पूर्व वर्षों का घाटा	1,480.73	2,031.73	37
4-	सकल वित्तीय घाटा	3]786-08	4]623-27	22
	= 2 - (1 अ + 1 ब + 1 स)			

4. राज्य के कर राजस्व में 16 प्रतिशत तथा करेत्तर राजस्व में 18 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित करते हुये ` 2]959-26 djkm+ ds jktLo vkf/kD; dk ctV iLrq fd; k x; k g\$ ftl dk mi; ksx ctV ea l fefyr i thxr enka ds fy; s fd; k tk, xkA o"kl 2011&12 ds iujhf{kr vuøku dh ryuk ea bl ctV ea ito/kkfur dy 0; ; 15 ifr'kr vf/kd g\$ o"kl 2012&13 ds fy; s 'kD) ctVh; ?kkVk 401 djkm+ g\$, oa i mZ o"kkA ds l apr ?kkVk dks 'kkfey djrs gq so"kl 2012&13 ds fy; s ctV ?kkVk ` 2]432 djkm+ g\$ ctV ea \*l dy foRrh; ?kkVk\*\* ¼ .k ikflr dks NkM dj jkT; dh l dy vk; , oa l dy 0; ; dk vrj½ ` 4]623 djkm+ vuøku fur fd; k x; k g\$ tks fd jkT; dh l dy ?kjsy mRikn dk 2-8 ifr'kr g\$। यह वित्तीय घाटा "छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम" में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है।

5. कुल व्यय में से आयोजना व्यय (Plan Expenditure) ` 21,931.19 करोड़ है, tks fd pkyw o"kl ds vk; kstuk 0; ; dh ryuk ea 16 ifr'kr vf/kd g\$, oa dy 0; ; dk 58

**ifr'kr gA** आयोजना व्यय में सामान्य आयोजना के लिये 55 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये 34 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु 11 प्रतिशत प्रावधान है ।

6. सामाजिक क्षेत्र के लिये सर्वाधिक प्रावधान ( ` 15,187.37 करोड़) किया गया है, जो कि कुल व्यय का 41 प्रतिशत है एवं गत वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है। आर्थिक क्षेत्र के लिये ` 14,226 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि कुल व्यय का 39 प्रतिशत है एवं गत वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है।

7. बजट में पूंजीगत व्यय (capital expenditure) मद में ` 7,189.89 करोड़ का प्रावधान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है एवं कुल व्यय का 19 प्रतिशत है। इस मद में सड़क, पुल एवं भवन निर्माण बाबत ` 3,186 करोड़ एवं सिंचाई परियोजनाओं हेतु ` 2,315 करोड़ का प्रावधान प्रमुख है।

**8- jkT; ea igyh ckj df'k ,oa bl l s lEc) l Hkh {ks-ka dh ;kst ukvka dks , d l kfk df'k ctV ds : i ea lRr fd; k x; k gSftl dse[; fclnqbl izdkj gS%&**

- अल्पकालिक कृषि ऋण पर ब्याज दर 3 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया जाएगा, जो राज्य के सभी सहकारी बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित किए जाने वाले ऋण पर लागू होगा ।
- वन भूमि अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत अधिकार पत्र प्राप्त शेष 1 लाख हितग्राहियों को निःशुल्क धान बीज एवं उर्वरक की मिनी किट वितरित करने के लिए ` 12.4 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना हेतु राज्य सरकार के अंशदान को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाएगा ।
- वर्ष 2011-12 में उपार्जित धान पर ` 50 प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया जाएगा ।
- 21,000 पम्पों के ऊर्जाकरण हेतु प्रति पम्प कनेक्शन अनुदान ` 50,000 से बढ़ाकर ` 75,000 करने हेतु ` 150 करोड़ का अनुदान ।
- 3 से 5 हार्स पावर तक के पम्पों के लिए निःशुल्क बिजली की सीमा में वृद्धि कर 6,000 यूनिट से 7,500 यूनिट किया जाएगा । फिक्स्ड चार्जस एवं मीटर किराये में छूट ।
- आर्थिक रूप से कमजोर कृषकों को किराये पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु 50 कृषि सेवा केन्द्र की स्थापना ।
- बीज उत्पादन एवं वितरण अनुदान ` 300 से बढ़ाकर ` 500 प्रति क्विंटल ।
- राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना हेतु ` 25 करोड़ का प्रावधान ।
- पशुपालकों में उद्यमिता विकास प्रोत्साहन हेतु डेयरी, बकरी एवं मुर्गी पालन के लिए सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को 33 प्रतिशत अनुदान देने हेतु ` 11.6 करोड़ का प्रावधान ।

9. **ctV dh eq; uohu ;kst uk, W**

**½kf'k ` djkm+ea ½**

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	750.00
मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	250.00
161 ग्रामीण सड़कों का निर्माण	300.00
नगरीय निकाय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास	600.00
राजीव आवास योजना	100.00
विद्युत कंपनियों को अंशपूजी	400.00
अटल विहार योजना	50.00
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण को अनुदान	50.00

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	50.00
भागीरथी नल जल योजना	24.43
40 नगरीय एवं ग्रामीण जल प्रदाय योजना	40.00
700 उर्वरक गोदाम निर्माण	52.00

## 10- ctV dh vU; fo'k'krk, W

- स्कूल शिक्षा विभाग के 200 स्कूल एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के 100 हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया जाएगा ।
- हाई स्कूल की छात्राओं के साथ-साथ अब छात्रों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय की जाएगी, जिसके फलस्वरूप अब प्राथमिक से हाई स्कूल तक सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की पात्रता होगी । अनुदान प्राप्त हाई स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल उपलब्ध कराया जाएगा ।
- अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए 56 छात्रावास तथा 29 आश्रम शालाएं खोले जायेंगे एवं 60 छात्रावासों में 1840 सीट की वृद्धि की जाएगी ।
- उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु राजनांदगांव में आई.आई.आई.टी., बलौदाबाजार में पॉलीटेक्निक, बिलासपुर में आयुर्वेदिक महाविद्यालय तथा 7 आई.आई.टी. एवं 9 नवीन महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे ।
- 2 लाख तक आय वर्ग के पालकों के बच्चों को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर उच्च शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से छूटे हुए राज्य के शेष परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना लाभ प्रदाय करने के लिए प्रारंभ की जा रही **^e[; e-h LokLF; chek ;kstuk\*\*** के माध्यम से राज्य के समस्त परिवार निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा लाभ के पात्र होंगे ।
- बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार हेतु 50 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा नये जिलों में जिला चिकित्सालय खोले जाएंगे ।
- शहरी मलिन बस्तियों के निवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए **^e[; e-h 'kgjh LokLF; dk; dE\*\*** प्रारंभ किया जाएगा ।
- राज्य के वनाच्छादित क्षेत्रों में मलेरिया के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए 5 लाख कीटनाशक उपचारित मच्छरदानियां वितरित करने के लिए ` 15 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।
- बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए सहभागिता के आधार पर **^uok tru ;kstuk\*\*** प्रारंभ किया जाएगा ।
- 1133 आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए ` 51 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।
- खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत बस्तर संभाग में लागू की गई चना वितरण योजना सरगुजा संभाग में भी लागू की जाएगी । इसके लिए ` 40 करोड़ का प्रावधान है ।
- राशन दुकानों में खाद्यान्न के भंडारण हेतु 350 दुकान सह-गोदाम निर्मित करने के लिए ` 33 करोड़ का प्रावधान है ।
- नगरीय क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था के लिए **^e[; e-h 'kgjh fo | rhdj.k ;kstuk\*\*** प्रारंभ की जाएगी ।
- राज्य के हस्तशिल्प कलाओं के संवर्धन के लिए माटीबोर्ड, हस्तशिल्प सिटी, ग्रामीण हस्तशिल्प डिजाईन विकास संस्थान तथा कंबल प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जाएगा ।

- त्वरित यातायात व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर से राजनांदगांव तक मेट्रो रेल के सर्वेक्षण कार्य हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
- नया रायपुर में जंगल सफारी के संचालन हेतु 50 लाख का प्रावधान किया गया है ।
- राज्य के कर्मचारियों को वर्ष 2012-13 में केन्द्रीय कर्मचारियों के समान दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा तथा संविदा कर्मचारियों के वेतन में समुचित वृद्धि की जाएगी ।

#### 11- राज्य के विभिन्न विभागों के व्यय

क्र.	विवरण	2011&12 ₹-व-½	2012&13 ₹-व-½	वृद्धि/कटौत ₹
<b>कृषि एवं पशुपालन</b>				
1	कृषि, पशुपालन तथा मछलीपालन	1,328.99	1,805.64	35.87
2	सहकारिता	163.41	271.91	66.40
3	ग्रामीण विकास	1,993.44	3,301.43	65.61
4	लोक निर्माण	2,356.95	3,116.33	32.22
5	सिंचाई	2,123.20	2,464.12	16.06
6	आवास एवं पर्यावरण	518.62	587.35	13.25
<b>स्वास्थ्य</b>				
1	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	460.88	521.21	13.09
2	महिला एवं बाल विकास	876.13	1015.23	15.88
3	स्वास्थ्य	1,214.20	1,344.99	10.77
4	आदिम जाति कल्याण	2,625.22	3,080.19	17.33
5	स्कूल शिक्षा	4,099.50	4,509.07	10.00
6	नगरीय प्रशासन एवं विकास	1,334.64	1,972.00	48.00
<b>गृह एवं विधायी कार्य</b>				
1	गृह (पुलिस)	1,535.49	1,862.21	21.28
2	विधि एवं विधायी कार्य	200.54	214.93	7.18

#### 12- वस्तु एवं सेवा कर

- शक्तिचलित थरहा लगाने की मशीन (ट्रांसप्लान्टर) पर प्रचलित वेट की दर 5 प्रतिशत को समाप्त कर इसे करमुक्त श्रेणी में शामिल किया जाएगा ।
- थैलीसीमिया से पीड़ित मरीजों के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाइयों पर प्रचलित 5 प्रतिशत वेट को समाप्त कर करमुक्त किया जाएगा ।
- निःशक्तजनों के उपयोग में आने वाले मोटर वाहन का राज्य के बाहर से क्रय करने पर लगने वाला 10 प्रतिशत प्रवेश कर समाप्त किया जाएगा ।
- फ्लाइएश ब्लाक्स, होलो ब्रिक्स, पेवर्स, पेविंग ब्लाक्स पर प्रचलित 14 प्रतिशत वेट को समाप्त कर इन्हें कर मुक्त किया जाएगा ।
- प्रदेश के स्टील ट्यूब एवं पाईप निर्माता इकाइयों को घोषणा पत्र पर 2 प्रतिशत की रियायती दर से कच्चा माल आयरन एण्ड स्टील का क्रय किए जाने की सुविधा प्रदान की जाएगी ।
- प्लाईवुड एवं लेमिनेट्स पर प्रचलित वेट की दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की जाएगी ।

- व्यवसाइयों को आन-लाईन रिफण्ड देने की व्यवस्था लागू की जाएगी ।
- वर्ष 2012-13 से समस्त मासिक करदाताओं के लिए ई-पेमेन्ट अनिवार्य किया जाएगा ।
- वर्ष 2012-13 से समस्त पंजीकृत व्यवसाइयों हेतु ई-रिटर्न अनिवार्य किया जाएगा ।
- बैटरी चलित इलेक्ट्रिक वाहन पर प्रचलित 5 प्रतिशत वेट की दर को समाप्त किया जाएगा ।

सामान्य प्रशासन विभाग

1. राज्य के पद्म सम्मान प्राप्तकर्ताओं को मासिक सम्मान निधि	0.04
2. नये मंत्रालय भवन में कम्प्यूटर क्रय हेतु	2.44
3. 09 नवीन जिलों जिला स्तरीय (स्थानीय निर्वाचन) कार्यालय की पद संरचना	1.97

ऊर्जा विभाग

1. कृषि पम्पों का ऊर्जाकरण	150.00
2. एकल बत्ती कनेक्शन	86.40
3. निःशुल्क विद्युत प्रदाय	177.07
4. विद्युत कम्पनियों में राज्य शासन का पूँजीनिवेश	400.00
5. मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना	25.00
6. सिंचाई हेतु अधोसंरचना विकास	10.00
7. पर्यवेक्षक एवं तारमिस्त्री के प्रशिक्षण हेतु	0.50
8. पाँच ऊर्जा उद्यान के रख-रखाव हेतु	2.00

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

1. मुख्यमंत्री डैशबोर्ड योजना	1.00
-------------------------------	------

खनिज विभाग

1. खनिज विभाग का कम्प्यूटरीकरण हेतु	1.00
2. नवगठित नवीन जिले एवं बीजापुर एवं नारायणपुर जिले में जिलास्तरीय कार्यालय हेतु 187 पदों का सृजन	3.00

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

1. नवगठित नवीन जिले में जिलास्तरीय कार्यालय हेतु 72 पदों का सृजन	1.50
--	------

राजस्व विभाग

1. मिसल अभिलेखों का डिजिटल कम्प्यूटरीकरण	5.00
2. पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार के परीक्षा के आवेदन शुल्क का भुगतान	4.70
3. पटवारियों को सर्वे सामाग्री प्रदाय करने एवं ग्रामों में चाँदा पत्थर की स्थापना	2.00

4.	650 पटवारी पद का सृजन	9.47
5.	14 गैर अधिसूचित अनुभागों को अधिसूचित करने एवं उनका सेटअप	2.80
6.	12 तहसील/उपतहसील भवन निर्माण	0.84
7.	कलेक्टर भवनों का मरम्मत	9.00
8.	09 नवीन जिलों में भू-अभिलेख के जिला स्तरीय कार्यालयों के पद संरचना हेतु	3.50

### ग्रामोद्योग विभाग

1.	सरगुजा जिले में गोदना एवं कले कलस्टर	0.25
2.	बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना	0.07
3.	हस्तशिल्प प्रतिस्पर्धा एवं अवार्ड	0.10
4.	सामग्रियों के कम्प्यूटर एडेड डिजाईन एवं बारकोडिंग	0.10
5.	विपणन हेतु केन्द्रीय भण्डारण	0.10
6.	पुरस्कृत एवं सम्मानित शिल्पियों को मासिक आर्थिक सहायता	0.15
7.	समग्र हाथकरघा विकास योजना	1.00
8.	हस्तशिल्प कलाकृति संग्रहालय की स्थापना	0.20
9.	कोण्डागांव में शिल्पसिटी की स्थापना	0.50
10.	कम्बल प्रोसेसिंग यूनिट राजनांदगांव में मशीन हेतु	1.03
11.	ग्रामीण हस्तशिल्प डिजाईन विकास संस्थान	0.50

### पुलिस विभाग

1.	नवगठित 06 नवीन जिलों में पुलिस अधीक्षक कार्यालय हेतु 120 पद, पुलिस लाईन हेतु 970 पदों का सृजन	22.33
2.	02 विशेष भारत रक्षित वाहिनी के गठन हेतु राशि	5.00
3.	जनप्रतिनिधियों एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु बुलेट प्रूफ वाहन का क्रय	1.30
4.	नवगठित जिलों के पुलिस अधीक्षक कार्यालय हेतु भारी वाहन, वाटर टैंकर, जेल वाहन/ट्रप कैरियर हेतु प्रावधान	2.90
5.	पुलिस जिला बलरामपुर, सूरजपुर एवं गरियाबंद में नगर सेना का जिला मुख्यालय हेतु 54 पदों का सृजन	0.80
6.	13 जिलों के अन्तर्गत 20 थाना/चौकी भवनों का निर्माण	16.50
7.	ग्राम सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर, ग्राम उरगा जिला कोरबा में नवीन थाना की स्थापना, पुलिस चौकी हसौद का थाने में उन्नयन, सोनाखान जिला बलौदाबाजार, पौड़ी जिला कबीरधाम एवं नया रायपुर के ग्राम उपरवारा में पुलिस चौकी की स्थापना हेतु 192 पदों का प्रावधान	5.52

### जेल विभाग

1.	05 केंद्रीय जेल, 05 जिला जेल, 05 उप जेलों हेतु 15 नग चार पहिया वाहन, 06 नग एम्बुलेंस तथा 06 जेलों को बहुउद्देशीय कार्यों के लिए मोटर सायकल क्रय	0.93
2.	प्रदेश के सभी जेलों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु एक्स-रे वैगेज स्केनर सिस्टम स्थापना हेतु प्रावधान	5.00
3.	केंद्रीय जेल जगदलपुर के लिए सीसीटीवी एवं रंगीन कैमरा	0.29
4.	केंद्रीय जेल रायपुर, दुर्ग, एवं जिला जेल जशपुर, कांकेर, राजनांदगांव एवं उप जेल डोंगरगढ़ हेतु जनरेटर क्रय	0.26
5.	केंद्रीय जेल अंबिकापुर, दुर्ग/जिला जेल जांजगीर-चांपा, उप जेल सूरजपुर, कटघोरा, बलौदाबाजार में सीसीटीवी, प्रदेश के 08 जेलों में वीडियों कान्फ्रेसिंग सिस्टम स्थापित हेतु	0.73

### परिवहन विभाग

1.	क्षेत्रीय/जिला परिवहन कार्यालयों के सर्विस स्टैम्प क्रय ।	1.00
2.	16 जिला परिवहन कार्यालयों में यूपीएस सिस्टम की स्थापना	1.80
3.	16 परिवहन कार्यालय, 17 परिवहन चेकपोस्ट एवं 10 परिवहन उड़नदस्तों द्वारा वसूली की राशि की सुरक्षा हेतु कैश चेस्ट क्रय	0.43
4.	09 जिलों हेतु 09 नग हल्का वाहन क्रय इत्यादि हेतु प्रावधान	0.45
5.	परिवहन चेक पोस्ट का कम्प्यूटरीकरण	0.50
6.	राज्य के 17 चेक पोस्टों में सौर ऊर्जा की स्थापना	0.37

### खेल विभाग

1.	छत्तीसगढ़ राज्य खेल महोत्सव के आयोजन हेतु प्रावधान	3.00
2.	खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सेटअप में अधिकारियों/कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणी के 111 पदों का सृजन	2.45
3.	संचालनालय खेल एवं अधिनस्थ कार्यालयों हेतु 10 नग वाहन क्रय का प्रावधान	0.05

### महिला एवं बाल विकास विभाग

1.	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सायकल प्रदाय हेतु	0.86
2.	300 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण	13.50
3.	10 परियोजना सह-संसाधन केंद्र हेतु भवन निर्माण	2.00
4.	कुपोषण मुक्ति अभियान के अन्तर्गत 'नवा जतन' कार्यक्रम पुरस्कार, एवं सम्मान हेतु प्रावधान	1.00
5.	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 'नवा बिहान' योजना का क्रियान्वयन हेतु प्रावधान	1.50

6.	क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान, बिलासपुर में छात्रावास एवं कर्मचारी अधिकारी आवास निर्माण	1.09
----	---	------

### विधि विभाग

1.	मान.उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए उपकरण क्रय	3.00
2.	बोदरी में नवनिर्मित उच्च न्यायालय भवन में आवश्यक निर्माण कार्य	3.50
3.	09 मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, 10 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 2 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं 1 परिवार न्यायालय की स्थापना	7.17
4.	न्यायिक अधिकारियों के लिए भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों हेतु	2.50
5.	09 नवीन जिला निर्वाचन कार्यालय की स्थापना	0.94
6.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु 8 मोबाईल क्लीनिक की स्थापना	0.59

### आदिम जाति कल्याण विभाग

1.	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नक्सल हिंसा से प्रभावित बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकतों की पूति हेतु	1.80
2.	100 हाईस्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन	3.30
3.	बस्तर, सरगुजा एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण हेतु स्थापना व्यय	1.20
4.	हाईस्कूल/30मा0वि0 के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु	1.10
5.	छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम को अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए अंशपूजी में धनवेष्टन	5.00
6.	30 उ0मा0वि0 भवनों के निर्माण	6.00
7.	21 अनुसूचित जनजाति आश्रम शाला, 10 अन्य पिछड़ा वर्ग, 20 अनुसूचित जनजाति एवं 15 अनुसूचित जाति वर्ग प्री0मै0/पो0मै0 छात्रावास की स्वीकृति	2.12
8.	सरस्वती सायकल प्रदाय योजना अंतर्गत अनुदान प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को सायकल	0.67
9.	अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास में 1840 सीट वृद्धि	0.31
10.	दुर्ग एवं जगदलपुर में “विज्ञान एवं वाणिज्य” शिक्षण केन्द्र की स्थापना	0.25
11.	10 छात्रावास भवन निर्माण	5.50
12.	हाई स्कूल के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक	5.00
13.	निःशुल्क एयर क्राफ्ट मैटेनेंस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	1.05

### स्वास्थ्य विभाग

1.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में मनरेगा एवं असंगठित निर्माण श्रमिकों को शामिल करने हेतु	22.00
2.	ए.पी.एल.परिवारों हेतु मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना	16.00
3.	छत्तीसगढ़ मेडिकल रिस्पॉन्स सर्विसेस योजना का विस्तार	4.00
4.	09 जिला चिकित्सालय की स्थापना	9.00
5.	13 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना	6.50
6.	20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना	2.60
7.	25 उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना	1.00
8.	शव वाहिका योजना	0.75
9.	बाल हृदय सुरक्षा योजना हेतु अतिरिक्त राशि	2.50
10.	छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि	3.00
11.	LLIN मच्छरदानी क्रय	15.00
12.	जिला चिकित्सालय,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य हेतु मशीन उपकरण	18.68
13.	08 जिला चिकित्सालय भवन का निर्माण	8.00
14.	04 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	0.80
15.	20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	4.00
16.	100 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	10.00
17.	“मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम” योजना	5.00

### चिकित्सा शिक्षा विभाग

1.	राजनांदगांव एवं दुर्ग में नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना	2.00
2.	बिलासपुर में आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना एवं भवन निर्माण	0.50
3.	चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.सी.आई के मापदंडों के अनुरूप 256 नवीन पद	4.65
4.	चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय, दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं नर्सिंग महाविद्यालयों में मशीन उपकरण क्रय	36.75
5.	चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर हेतु भवन निर्माण (द्वितीय चरण)	5.00
6.	10 आयुष औषधालय भवन निर्माण	1.50
7.	चिकित्सा विश्वविद्यालय हेतु अधोसंरचना अनुदान	5.00

### स्कूल शिक्षा विभाग

1.	200 हाई स्कूल का हायर सेकण्डरी में उन्नयन	24.00
2.	9वीं एवं 10वीं के छात्रों का निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय	9.25
3.	अनुदान प्राप्त संस्था के हाईस्कूल की छात्राओं को सायकल प्रदाय	0.66
4.	शालाओं में अग्निशामक यंत्र	1.00

5.	उच्चतर माध्यमिक शालाओं में विज्ञान सामग्री उपकरण	10.00
6.	शासकीय प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों हेतु फर्नीचर	35.00
7.	प्राथमिक शालाओं में विद्यार्थियों के शारीरिक विकास हेतु व्यायाम उपकरण	2.00
8.	नवीन भवन	11.00
	1. 20 विकास खंड शिक्षा अधिकारी,	
	2. 40 शिक्षक आवास गृह,	
	3. 10 कन्या छात्रावास	
	4. 100 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण	
9.	प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक शाला भवनों के इमारतों के अनुरक्षण एवं मरम्मत/अहाता निर्माण	60.00
10.	राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीडा प्रतियोगिताओं की व्यवस्था अंतर्गत स्कूलों में पेयजल व्यवस्था व शौचालय का निर्माण	1.00
11.	स्कूल शिक्षा हेतु पोर्टल निर्माण, विज्ञान एवं गणित शिक्षा प्रसार, गुणवत्ता सुधार, योजनाओं का मुल्यांकन, विज्ञान विषयों के लिये विशेष प्रशिक्षण एवं शिक्षक प्रशिक्षण हेतु नवीन योजनाएँ	2.80
12.	नवीन जिला शिक्षा कार्यालय हेतु 180 पद निर्माण	2.00

### उच्च शिक्षा विभाग

1.	पटना जिला कोरिया, आरा जिला जशपुर, शंकरगढ़ जिला बलरामपुर, प्रेमनगर जिला सरगुजा, कोतरी जिला बिलासपुर, मगरलोड जिला धमतरी, बोरी जिला दुर्ग, बलौदा जिला महासमुंद तथा बेमेतरा(कन्या) जिला बेमेतरा में 09 नवीन महाविद्यालय की स्थापना	6.00
2.	डोंगरगढ़, राजनांदगांव एवं उतई महाविद्यालय में अतिरिक्त विषय	0.50
3.	बलौदा बाजार, धमधा, भैसमा एवं कन्या महा. दुर्ग हेतु नवीन भवन	1.60
4.	हिन्दी ग्रंथ अकादमी के भवन निर्माण हेतु अनुदान	0.50

### जनशक्ति नियोजन एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

1.	जनकपुर जिला कोरिया, रामानुजनगर जिला बलरामपुर, टेडेसरा जिला राजनांदगांव, दल्लीराजहरा जिला दुर्ग, मेघा जिला धमतरी, दुर्ग(महिला) जिला दुर्ग जांजगीर जिला जांजगीर एवं हसौद जिला जांजगीर में 08 नवीन आई.टी.आई की स्थापना	11.73
2.	बलौदा बाजार में नवीन सहशिक्षा पॉलीटेक्निक की स्थापना	3.00
3.	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण अनुदान योजना	0.01
4.	राजनांदगांव में पी.पी.पी.मॉडल पर आई.आई.आई.टी की स्थापना	0.50
5.	15 आई.टी.आई. में अतिरिक्त व्यावसाय प्रारंभ करने	2.00
6.	शासकीय पॉलीटेक्निक नारायणपुर, बीजापुर, बिलासपुर(क.), गरियाबंद,	15.00

जशुपर का भवन निर्माण		
7.	17 आई.टी.आई भवन एवं 21 छात्रावास भवन निर्माण	15.00
<b><u>वित्त विभाग</u></b>		
1.	4 वाहन चालक के पद सृजन एवं 4 नवीन वाहन क्रय हेतु	0.28
<b><u>वाणिज्यिक कर विभाग</u></b>		
1.	जिला कबीरधाम, कोरबा एवं भाटापारा में वृत्त कार्यालय हेतु 114 पदों का सृजन	3.39
2.	मुख्यालय के लिये फर्नीचर	1.22
<b><u>आबकारी विभाग</u></b>		
1.	जिला आबकारी कार्यालय की स्थापना हेतु 68 पदों का सृजन	2.15
2.	फर्नीचर उपकरण हेतु	0.15
3.	सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर के प्रोत्साहन हेतु सहायक अनुदान	10.00
4.	पापीश्ट्रा के क्रय हेतु व्यसनियों हेतु डोडा क्रय	3.20
<b><u>पंजीयन विभाग</u></b>		
1.	जिला पंजीयक कार्यालय स्थापना हेतु 20 विभिन्न पदों का सृजन	0.20
2.	धमधा एवं नवागढ़ में पंजीयन कार्यालय भवन का निर्माण	1.13
<b><u>संस्कृति विभाग</u></b>		
1.	मेला में उत्सव/प्रदर्शनी कार्यक्रम हेतु	0.50
2.	छ.ग. राजभाषा आयोग अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु	0.32
<b><u>श्रम विभाग</u></b>		
1.	कर्मचारी राज्य बीमा सेवाये अंतर्गत 6 नये औषधालय जामुल, रिसाली मड़ौदा, भिलाई-तीन, भाटापारा, सीपत एवं अकलतरा में खोलने हेतु	4.04
2.	श्रम शक्ति सदन निर्माण हेतु	1.00
3.	श्रम कानूनों के क्रियान्वयन के लिए अमला योजनान्तर्गत फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण हेतु	0.11
4.	औद्योगिक हार्डिजन प्रयोग शाला के अधिकारियों/कर्मचारियों का सम्मेलन एवं उपकरणों के रखरखाव हेतु	0.07
<b><u>विमानन विभाग</u></b>		

1.	माना एयरपोर्ट हेतु फर्नीचर उपकरण, पुलिस लाईन रायपुर में हेंगर का निर्माण एवं बीजापुर, अंबिकापुर एवं सुकमा हेतु बाउजर टेन्कर हेतु	2.00
----	--	------

### कृषि विभाग

1.	किसान समृद्धि योजना	22.20
2.	श्री विधि के क्षेत्र विस्तार से धान की उत्पादकतावर्धन	6.00
3.	वन ग्रामों के पट्टाधारी कृषकों को निःशुल्क प्रमाणित बीज एवं उर्वरक वितरण योजना	12.40
4.	धान में समन्वित पोषक तत्व उपयोग को बढ़ावा देने हेतु फसलों के प्रदर्शन की योजना	4.25
5.	धान आधारित फसल पद्धति पर वृहद फसल प्रदर्शन योजना	18.60
6.	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत प्रीमियम अनुदान	3.00
7.	04 मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	0.80
8.	दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना	3.25
9.	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	25.00
10.	टपक सिंचाई योजना	0.50
11.	नदी के कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों के प्रोत्साहन हेतु योजना	0.50
12.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	310.00
13.	स्प्रिंकलर सिंचाई योजना	28.00
14.	छ.ग. राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु ऋण	300.00

### सहकारिता विभाग

1.	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के रूप में विकसित करना	8.50
2.	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान 1 प्रतिशत करने बाबत	120.00
3.	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के 700 गोदामों के निर्माण हेतु	52.50

### खाद्य विभाग

1.	बिलासपुर, दुर्ग एवं भिलाई के शहरी क्षेत्र में 350 दुकान सह गोदाम निर्माण	35.00
2.	चना प्रदाय योजना का सरगुजा में विस्तार	40.00
3.	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	700.00
4.	रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण	36.00
5.	मार्कफेड को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	350.00

6.	पी.डी.एस. हेतु स्मार्ट कार्ड का प्रदाय योजना	1.72
7.	छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ को बारदाना क्रय हेतु ऋण	600.00
8.	नागरिक आपूर्ति निगम को रिवाल्विंग फंड हेतु ऋण	500.00
9.	छ.ग.स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन द्वारा गोदामों के निर्माण हेतु	90.00

### पशुधन विकास विभाग

1.	कृषक कौशल विकास योजना	1.80
2.	जिला-कवर्धा सहसपुर लोहारा में नवीन बकरी पालन प्रक्षेत्र की स्थापना	1.76
3.	25 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना	1.15
4.	15 पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन	1.89
5.	प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण	0.60
6.	बकरा वितरण योजना	3.10
7.	उन्नत मादा वत्स पालन योजना	0.83

### मछली पालन विभाग

1.	मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज अंगुलिका क्रय कर संचयन कार्यक्रम	1.10
2.	नदियों के एनीकट एवं दहों में मत्स्य बीज संचयन कर मत्स्योद्योग विकास योजना	0.81

### लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

1.	सामान्य क्षेत्र के 9 जिले में चलित प्रयोगशाला की स्थापना हेतु	1.35
2.	1654 नियमित कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना के कर्मचारियों वेतन भत्ते हेतु	21.80
3.	हैण्डपम्पों के संधारण कार्य हेतु वाहन क्रय हेतु राशि	0.72
4.	दल्लीराजहरा जल प्रदाय योजना हेतु	1.00
5.	भिलाई चरौदा जल प्रदाय योजना हेतु	2.00
6.	भखरा-भठेली जल प्रदाय योजना हेतु	0.50
7.	मगरलोड-भैसमुड़ी जल प्रदाय योजना हेतु	0.50
8.	बागबाहरा जल प्रदाय योजना हेतु	1.00
9.	बोदरी चकरभाठा जल प्रदाय योजना हेतु	0.50
10.	कटघोरा जल प्रदाय योजना हेतु	2.00
11.	घरघोड़ा जल प्रदाय योजना हेतु	0.50
12.	अर्जुन्दा जल प्रदाय योजना हेतु	0.50

13.	किरोड़ीमल नगर आवर्धन जल प्रदाय योजना हेतु	0.50
15.	धरमजयगढ़ आवर्धन जल प्रदाय योजना हेतु	0.50
16.	पाटन आवर्धन जल प्रदाय योजना हेतु	1.00
17.	उतई जल प्रदाय योजना हेतु	0.50
18.	बालोद आवर्धन जल प्रदाय योजना हेतु	0.50
19.	थानखम्हरिया नगर जल प्रदाय योजना हेतु	0.50
20.	कुसुमकसा नल जल प्रदाय योजना हेतु	0.50
21.	टुण्ड्रा जल प्रदाय योजना हेतु	0.50
22.	भटगांव जल प्रदाय योजना हेतु	0.50
23.	छुईखदान नगर आवर्धन जल प्रदाय योजना हेतु	0.50
24.	प्रतापपुर जल प्रदाय योजना हेतु	0.50
25.	नईलेदरी नल जल प्रदाय योजना हेतु	1.00
26.	खोंगापानी नल जल प्रदाय योजना हेतु	1.00
27.	चिरमिरी आवर्धन जल प्रदाय योजना हेतु	2.50
28.	राहौद जल प्रदाय योजना हेतु	0.25
29.	खरौद जल प्रदाय योजना हेतु	0.25
30.	कुरा जल प्रदाय योजना हेतु	0.25
31.	बेमेतरा समूह जल प्रदाय योजना	2.00
32.	साजा समूह जल प्रदाय योजना	1.50
33.	धरसीवा ब्लॉक के 47 ग्रामों की मुरेठी समूह जल प्रदाय योजना	2.00
34.	सोनारपाल, कुम्हरावण्ड, कुसमा समूह जल प्रदाय योजना	7.50
35.	नवागढ़ समूह जल प्रदाय योजना	3.00

## लोक निर्माण विभाग

1.	25 रेल्वे ओव्हर/अंडर ब्रिज निर्माण	17.00
2.	84 वृहद् पुलों का निर्माण	36.70
3.	40 राज्य मार्गों का निर्माण	61.78
4.	मुख्य जिला सड़कों का निर्माण	64.56
5.	नाबार्ड सहायता से ग्रामीण सड़कों का उन्नयन	300.00
6.	एशियन विकास बैंक सहायित फेस-2 परियोजना	200.00
7.	ग्रामीण मार्गों का संधारण	100.00
8.	लोक निर्माण विभाग की अन्य सड़कों का संधारण	467.50
9.	नवगठित 5 जिलों- बलौदाबाजार, बालौद, बेमेतरा, मुंगेली, सुकमा एवं जगदलपुर में ट्रांजिट हास्टल निर्माण	3.00
10.	नवगठित 9 जिलों के रेस्ट हाउस में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	1.80
11.	नवगठित 9 जिलों में विद्युत/यांत्रिकी उपसंभाग तथा कांकेर में सेतु संभाग की स्थापना हेतु 74 पदों का सृजन	1.43

12.	साईस कालेज मैदान, रायपुर में ओव्हर हेड टैंक, एथलेटिक ट्रैक एवं जांजगीर में स्टेडियम निर्माण	2.76
13.	बलरामपुर, सूरजपुर एवं गरियाबंद में बैरक/आवास	0.60
14.	जिला कोरिया, जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ में परिवहन कार्यालय भवन	3.00
15.	भौमिकी तथा खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर एवं जगदलपुर में प्रयोगशाला भवन	2.00
16.	रायपुर में विधायक विश्रामगृह निर्माण	0.10

### वन विभाग

1.	नया रायपुर में जंगल सफारी की स्थापना	0.50
2.	वन्य प्राणी वन वृत्तों की स्थापना	1.00
3.	बिगड़े वनों का सुधार	110.00
4.	बांस वनों का पुनरोद्धार	49.00
5.	वन क्षेत्रों में भू-जल एवं जल संरक्षण कार्य	21.50
6.	तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका वितरण	15.00
7.	तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों का समूह बीमा	8.50
8.	वनमार्गों पर रपटा पुलिया निर्माण	22.00
9.	वनमार्गों का संधारण	9.90
10.	भवनों का संधारण	10.10
11.	सड़कें तथा मकान निर्माण कार्य	13.05
12.	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान	102.78

### नगरीय प्रशासन विभाग

1.	मैट्रो रेल परियोजना (नया रायपुर-राजनांदगांव) का सर्वेक्षण	1.00
2.	नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास	600.00
3.	राजीव आवास योजना हेतु राज्यांश	100.00
4.	भागीरथी नल जल योजना	24.43
5.	एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास योजना	50.00
6.	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर मूलभूत कार्यो हेतु	55.00
7.	प्रवेश कर (चुंगी क्षतिपूर्ति) अनुदान	668.25
8.	मुद्रांक शुल्क क्षतिपूर्ति अनुदान	36.16
9.	एफ.एल. लायसेंस फीस से अनुदान	15.50
10.	विशिष्ट प्रयोजनार्थ ऋण/अनुदान	107.00
11.	एकीकृत अल्प लागत स्वच्छता योजना	21.78
12.	यात्री कर अनुदान	8.00
13.	सामान्य उद्देश्यीय अनुदान	8.00
14.	मनोरंजन कर की प्राप्तिओं से अनुदान	7.75

15. 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान 97.21

### पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

1. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	750.00
2. मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	250.00
3. मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना	105.00
4. छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना	25.00
5. ग्राम विकास योजना	25.00
6. छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना	25.00
7. मूलभूत कार्यों हेतु अनुदान	180.00
8. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का संधारण	183.00
9. पी.एम.जी.एस.वाय. सड़कों पर पुलों का निर्माण	25.00
10. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण को अनुदान	50.00
11. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि एवं एकीकृत कार्ययोजना	560.00
12. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु राज्यांश	50.00
13. नवगठित 9 जिलों में जिला पंचायत (डी.आर.डी.ए.) हेतु 363 पदों का सृजन	3.00
14. नवगठित 9 जिलों में उपसंचालक (पंचायत) कार्यालय	0.56
15. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का राज्यांश	260.00
16. 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान	389.24
17. इंदिरा आवास योजना का राज्यांश	48.06

### आवास एवं पर्यावरण विभाग

1. जिला जांजगीर-चांपा में ग्राम एवं नगर निवेश कार्यालय	0.70
2. नया रायपुर में 224-बिस्तर नाईट शेल्टर का निर्माण	1.00
3. नया रायपुर में श्मशान घाट/कब्रगाहों का विकास	1.00
4. नया रायपुर में फायर स्टेशन की स्थापना	1.00
5. नया रायपुर में सोलर एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईटिंग हेतु	5.00
6. नया मंत्रालय भवन का रख-रखाव	5.00
7. नया रायपुर में महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री आवास निर्माण	5.00

### जल संसाधन विभाग

1. हसदेव बांगो परियोजना के ई.आर.एम. कार्य	50.00
2. पैरी हाईडैम का सर्वेक्षण कार्य	0.20
3. 49 बाढ़ नियंत्रण योजनाओं हेतु	11.00
4. 156 लघु सिंचाई योजनाओं हेतु	71.65
5. 156 एनीकट निर्माण हेतु	70.20
6. 65 लघु सिंचाई योजनाओं के मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनरोद्धार हेतु	8.15
7. अरपा भैसाझार परियोजना	5.00
8. समोदा परियोजना	25.50

9.	महानदी परियोजना	50.00
11.	मनियारी जलाशय	60.00
12.	औद्योगिक जल संरचनाओं का निर्माण	650.00
13.	केलो परियोजना निर्माण	100.00
14.	लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	406.00
15.	एनीकट निर्माण	369.00
16.	हरदोली-निरतू मध्यम परियोजना	1.00
17.	लघु सिंचाई योजनाओं की मरम्मत/नवीनीकरण/पुनरोद्धार	120.00

### योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग

1.	09 जिलों में जिला कार्यालय की स्थापना	1.00
----	---------------------------------------	------